

पार्सी ग्राम प्रस्तुत फा. नं. 870 द्वारा 251'क' राजस्थान कायदाकार
 अधिनियम 1955 कायदा स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम
 मंडाऊ फा. नं. सिंगार की सरहद में स्थित पार्सी की
 खातदारी न्यूनि खासत नम्बर 3 में आवगत है
 फा. नं. जांच क्रमांक 07.03.2021 में नजरी नम्बर
 लाल स्याही में प्रस्तावित किया गया रास्ते को राजकीय रास्ता
 कायदा किया जाता है। पार्सी रास्ते में समाविष्ट होने वाली
 न्यूनि नं. खल्लो D.L.C. दर की दुगनी राशी नहरीलदर उदयपुरवाटी
 के पास जमा करवाते हुए नहरीलदर उदयपुरवाटी को हाईलिट
 किया जाता है कि उक्त जमा D.L.C. दर की दुगनी राशी को
 जिस खातदारी की न्यूनि रास्ते में समाविष्ट हो रही है को
 विकासगत कराता करे तथा उक्त पत्ती पर चोड़ रास्ते को
 राजस्व विभाग में राजकीय रास्ता दर्ज करवाते हुए नम्बर प्रेस में
 भी अंकित करा फा. नं. जांच क्रमांक 07.03.2021 मय नहरील
 नम्बर इस हाईलिट का हिस्सा रहेगी

निर्दिष्ट कायदा क्रमांक 1-4-2021 को मर दास खुल न्यायलय में
 मुजमा गया।
 पत्ती पर जमा न्यूनि नम्बर 2 नम्बर से करवाते व दास खुल दरवाजे
 है।

22

सपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी (मुन्मुन)

